International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 1, Jan.-Feb., 2026

दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजुला मलिक[1], डॉ. शैली[2]

[1]शोधार्थी, कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन, आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ
[2]आचार्य, कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन, आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

DOI: https://doi.org/10.55948/IJERED.2026.0111

अमूर्त

भारत की शिक्षा प्रणाली देश के सभी बालकों को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करने हेतु सशक्त मूलभूत विद्यालयी ढाँचे का प्रावधान सुनिश्चित करती हैै। निःशक्त बच्चे हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और समाज में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा इनके मन से हीन भावना का निराकरण करने के लिये इन्हें शिक्षित करना परम आवश्यक है। ऐसे निःशक्त बालकों हेतु भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों ने जो विशिष्ट विद्यालय (दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें) स्थापित की हैं उन्हीं के माध्यम से ऐसे विभिन्न प्रकार के निःशक्त बालकों को उनकी दिव्यांगता अथवा निःशक्तता के आधार पर विशिष्ट पद्धति द्वारा शिक्षा पूर्ण रूप से प्रदान की जा सकती है। प्रश्न उठता है कि ऐसे निःशक्त बच्चों की आवश्यकता अनुरूप क्या उचित मात्रा में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें उपलब्ध है? और यदि हैं भी तो ऐसे विद्यालयों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था क्या उन बालको की आवश्यकताओं को पूरी करती है? ऐसे विद्यालयों की प्रशासनिक व प्रबंधन व्यवस्था में कौन-कौन सी कठिनाई आती है? विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था का निःशक्त बालकों और उनसे संबंधित सामाजिक अंगों पर क्या प्रभाव होता है? उपरोक्त प्रश्नों के आलोक में तथा समाज की इस गंभीर समस्या जो कि प्राकृतिक देन है, से सम्बन्धित अध्ययन शोधार्थिनी ने "दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन'' शोध समस्या के अन्तर्गत किया। इस शोध के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णित किये गये हैं। तथापि शोध का प्रमुख निष्कर्ष है कि सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु स्थापित विद्यालयों में भारी धनराशि वयय करने के बावजूद भी उनमें भौतिक संसाधनों एवं प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है।

मुख्य शब्दः दिव्यांग बालक, विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले विद्याल

प्रस्तावना

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995[1] संविधान के अनुच्छेद् 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। दिनांक 4 दिसम्बर, 2004 को भारत की संसद में प्रस्ताव रखा गया कि विकलांगों को 'निःशक्त जन' बोला जाए। उन्हें विकलांग नहीं कहा जाए। दिसंबर 2015 के मन की बात कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह दिव्यांग नाम की शुरूआत की थी। उनके सुझाव के बाद से इस शब्द चलन हुआ और इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए हैंडिकैप के स्थान पर डिफरेंटली एबल्ड शब्द का प्रयोग जाता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं उनको प्रदत्त सुविधाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49, सन 2016)[2] को ही लागू किया गया है जिसे 06 नवम्बर 2016 से "उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017" के नाम से लागू किया गया है। पाण्डेय मुकन्द मोहन (2020)[3] समाज की मुख्य धारा में दिव्यांग बच्चों को सम्मलित करने के लिए यह जरूरी है कि सामान्य बच्चों के सापेक्ष उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय तथा सरकार, नीति-निर्देशक तथा सामाजिक व्यवस्था में उन्हें ज्यादा-ज्यादा रियायतों एवं सुविधाओं का दिया जाना अति आवश्यक है। ताकि दिव्यांग बालक किसी के ऊपर आश्रित न होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

दिव्यांग बालकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु, उन्हें स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु, उनकी विशेषताओं एवं कौशलों को राष्ट्र निर्माण में उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सरकार द्वारा उनके लिए समावेशी शिक्षा के साथ-साथ दिव्यांग शिक्षा विद्यालयों की स्थापना विशेष शिक्षा विद्यालयों की गई है। ये विद्यालय दिव्यांग बालकों को उनकी दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रबन्ध करने हैं। यथा- कक्षागत बुनियादी ढाँचा, शौचालय, छात्रावास, प्रशिक्षित एवं तकनकी रूप से कुशल शिक्षक, निर्देशन एवं परामर्श सुविधा आदि। संविधान में प्रदत्त समान शिक्षा के अधिकारों एवं दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा स्थापित इन विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता का दिव्यांग बालकों पर प्रभाव जानने के लिए समय-समय पर अनेक शोध अध्ययन भारत में हुए हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से सम्पन्न इस पश्चिमी सम्भाग के मेरठ परिक्षेत्र में दिव्यांग बालकों एवं विशेष शिक्षा विद्यालयों से सम्बन्धित शोध अध्ययनों के अभाव को ध्यान मे रखते हुए शोधार्थी ने अपने शोध कार्य का चयन शोध शीर्षक "दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन" के अन्तर्गत किया।

2. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों की समीक्षाः

वर्मा विजय कुमार (2018)[4] अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा शुरू हो गई थी। सन् 1784 ई0 में विश्व का प्रथम नेत्रहीन विद्यालय पेरिस में खुला। भारत में विशेष शिक्षा की सुविधा लगभग 100 वर्ष बाद पहुँची। मुम्बई में श्रवणहीनों के लिए पहला विद्यालय 1885 में खुला। नेत्रहीनों के लिए पहला विद्यालय 1887 में अमृतसर में खुला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा की सुविधा का विस्तार अत्यन्त धीमी गति से और रूक-रूककर हुआ। अविभाजित भारत में नेत्रहीनों के लिए 32 विशेष विद्यालय, श्रवणहीनों के लिए 30 विशेष विद्यालय और मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए मात्र 3 विशेष विद्यालय थे। इन विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर भी हल्का था। पर फिर भी इन विद्यालयों और इनमें पढ़ने वाले छात्रों ने सिद्ध कर दिया कि दिव्यांग भी पढ़ सकते हैं। इनमें से अनेक छात्रों ने पहले विशेष विद्यालय में और फिर सामान्य कालेज में पढ़कर दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। त्रिपाठी संजीव कुमार एवं गुप्ता सुनीता (2018)[5] ने "दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थी के अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन" में निष्कर्ष प्राप्त किये कि- दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थियों की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर है

अर्थात् दिव्यांग विद्यार्थी के बालक-बालिकाओं की अधिगम शैली सामान्य विद्यार्थियों की अधिगम शैली की अपेक्षा उच्च पायी गयी। दिव्यांग एवं सामान्य बालकों की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर है अर्थात् दिव्यांग बालकों की अधिगम शैली सामान्य बालकों की अधिगम शैली की अपेक्षा उच्च पायी गयी। दिव्यांग एवं सामान्य बालिकाओं की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर है अर्थात् दिव्यांग बालिकाओं की अधिगम शैली सामान्य बालिकाओं की अधिगम शैली की अपेक्षा उच्च पायी गयी। (UN 2015)[6] शिक्षा के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और इसका असर विकलांग बच्चों पर भी पड़ा है। अब सारा ध्यान स्कूल से बाहर रहने वाले सभी समूहों पर केंद्रित है, जिनमें विकलांग बच्चों को सबसे अधिक वंचित माना जा रहा है। तनेजा श्रुति व अन्य (2021)[7] ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक विकलांग बच्चों की उपस्थिति को लेकर अधिक स्वीकार्य हो रहे हैं और उनकी स्कूली शिक्षा में भागीदारी के लिए अधिक ठोस कारण बता पा रहे हैं। हालांकि, शिक्षक अभी भी विकलांग बच्चों को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे उन्हें मिलने वाले सीखने के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शाह एवं अन्य (2016)[8] कक्षा में छात्रों की बड़ी संख्या, खराब बुनियादी ढांचा, सहायक कर्मचारियों की कमी और शिक्षकों का सीमित ज्ञान और शिक्षण विधियों के कारण विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक है।

देवी प्रियंका (2023)[9] शिक्षण हेतु सहायक सामग्री चित्र, चार्ट, ग्राफ के निर्माण एवं प्रयोग में शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। सामान्य छात्र सहायक शिक्षण सामग्री को स्वयं सुन-देखकर सरलता से समझते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन में शिक्षक को उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्र की कक्षा स्तर तथा छात्र की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के हितार्थ सहायक शिक्षण सामग्री का बड़े आकार में होना आवश्यक है। मिश्रा पंकज कुमार एवं कैथल नीलम (2024)[10] ने शोध "विकलांग बालकों की प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समस्याएं एवं समाधान का मथुरा जनपद में विश्लेषणात्मक अध्ययन" में निष्कर्ष दिये कि- भैतिक समस्याएंः मथुरा के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल सुविधाए जैसं रैंप, व्हीलचेयर की पहुँच और विशेध शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा में बाधांएः शिक्षकों को विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है,

जिससे वे विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें संबोधित करने में अक्षम हैं। सामाजिक मानसिकताः विकलंाग बच्चों के प्रति समाज और सहपाठियों का नकारात्मक दृष्टिकोण उनके आत्मविश्वास और शिक्षा के प्रति रूचि को प्रभावित करता है। सरकारी योजनाओं का प्रभावः मथुरा जनपद में समग्र शिक्षा अभियान और आर.टी.ई. अधिनियम के अन्तर्गत चल रही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं है। पाठ्य सामग्री और तकनीकी सहायताः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पाठयक्रम और तकनीकी संसाधनों की कमी पाई गई। कपूर समिता एवं अग्रवाल देवेन्द्र कुमार (2024)[11] ने शोध "समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर सामान्य विद्यार्थियों एवं दिव्यांग (विशिष्ट) विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन" में निष्कर्ष प्राप्त किया कि- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने से सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होते हैं तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन में वृद्धि होती है। परन्तु सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक एपलब्धि एवं समायोजन में सार्थक अन्तर होता है। ममता एव यांदव निशी (2025)[12] समाज में दिव्यांगता को मजबूर या कमजोर, अक्रिय या निष्क्रिय समझा जाता है। दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियाँ समाज के साथ एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रायः अवलोकित किया गया है कि उपेक्षित

अभिवृत्तियाँ के कारण दिव्यांगजनों को समाज में समानता का अनुभव नही हो पाता है। अभिवृत्तियाँ से उन्हें दया का पात्र समझा जाता है अभिवृत्तियाँ ऐसा कारक है जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति और दिव्यांगजन के बीच अंतर-व्यक्तिगत सम्बन्धों को प्रभावित करती है। दिव्यांगता और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण पर शोध लगातार हो रहें है, लेकिन इसमें शामिल मुद्दों के लिए अभी भी बहुत कुछ करने साथ ही अभिवृत्तियाँ और व्यवहार को बदलने के लिए हमें जागरूकता बढानें और, बुनियादी ढाँचे का विकास करने की आवश्यकता है।

3. शोध उद्देश्य

प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की व्यवस्था का अध्ययन करना।

प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों में शैक्षणिक संसाधनों का अध्ययन करना।

प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता का अध्ययन करना।

4. शोध अवधारणाएं

1. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्णता के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी

2. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालयों की स्थापना से संबंधित सरकारी नियमों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी।

3. विशिष्ट विद्यालयों में नियमित विशिष्ट अध्यापकों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी।

4. विशिष्ट विद्यालयों में पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी।

5. शोध उपकरण

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोध पर्यवेक्षक के सहयोग से स्वःनिर्मित मतावली का उपयोग आंकड़ा संग्रहण हेतु किया गया।

6. शोध न्यादर्श

जिसके लिए शोधार्थी ने मेरठ मण्डल के दो जनपदों मेरठ व हापुड़ में संचालित विशेष शिक्षा प्रदान करेन वाले विद्यालयों से मुख्य अध्यापकों, शिक्षकों, बालकों तथा अभिभावकों का संयुक्त रूप से 400 न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिउत्तरों के आधार पर विश्लेषणत्मक रूप से परिणाम एवं निष्कर्ष प्राप्त किये।

7. समंक विश्लेषण

अवधारणा संख्या 01 के सत्यापन हेतु समंकों का विश्लेषण अग्रतालिका संख्या-1 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-1: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्णता के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के मतों का प्रदर्शन

क्र0सं0	प्रयोज्य	कुल संख्या (400)	प्राप्त मत (हाँ)	प्रतिशत
1	संस्था प्रमुख	10	2	20
2	शिक्षक	50	10	20
3	छात्र	175	35	20
4	अभिभावक	165	33	20

तालिका संख्या 1 से प्रदर्शित होता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्णता के संदर्भ में संस्था प्रमुखों की सहमति का प्रतिशत 20 है जोकि शिक्षकों के सहमति प्रतिशत 20, छात्रों तथा अभिभावकों का सहमति प्रतिशत 20 के समान है जोकि संस्था प्रमुखों तथा शिक्षकों के मत प्रतिशत से कोई भिन्नता नहीं रखता है अतः इस संदर्भ में अवधारणा संख्या 10 ''दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्णता के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी'' अस्वीकृत की गई।

अवधारणा संख्या -2 के सत्यापन हेतु समंकों का विश्लेषण अग्रतालिका संख्या-2 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या- 2: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालयों की स्थापना से संबंधित सरकारी नियमों के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के मतों का प्रदर्शन

क्र0सं0	प्रयोज्य	कुल संख्या (400)	प्राप्त मत (हाँ)	प्रतिशत
1	संस्था प्रमुख	10	6	60
2	शिक्षक	50	30	60
3	छात्र	175	106	61
4	अभिभावक	165	99	61

तालिका संख्या-2 से प्रदर्शित होता है कि विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित सरकारी नियमों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों तथा शिक्षकों की सहमति का प्रतिशत एक समान 60 है जबकि छात्रों तथा अभिभावकों का सहमति प्रतिशत एक समान 61 प्रतिशत है अर्थात् संस्था प्रमुखों व शिक्षकों की सहमति मतों तथा अभिभावकों व छात्रों की सहमति मतों के मध्य 01 प्रतिशत का लगभग अन्तर है जोकि न्यादर्श संख्या के अनुपात में नगण्य है। अतः अवधारणा ''दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालयों की स्थापना से संबंधित सरकारी नियमों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी'' को अस्वीकृत किया गया।

अवधारणा संख्या -3 के सत्यापन हेतु समंकों का विश्लेषण अग्रतालिका संख्या-3 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या- 3: विशिष्ट विद्यालयों में नियमित विशिष्ट अध्यापकों की संख्या के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के मतों का प्रदर्शन

क्र0सं0	प्रयोज्य	कुल संख्या (400)	प्राप्त मत (हाँ)	प्रतिशत
1	संस्था प्रमुख	10	8	80
2	शिक्षक	50	40	80
3	छात्र	175	140	80
4	अभिभावक	165	132	80

तालिका संख्या-3 से प्रदर्शित होता है कि विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में नियमित विशिष्ट अध्यापकों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों की सहमति का प्रतिशत 80 है अर्थात् चारों प्रयोज्यों के सहमति मतों में कोई अन्तर नहीं है। अतः इस संदर्भ में अवधारणा ''विशिष्ट विद्यालयों में नियमित विशिष्ट अध्यापकों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी'' अस्वीकृत किया गया।
अवधारणा संख्या-4 के सत्यापन हेतु समंकों का विश्लेषण अग्रतालिका संख्या-4 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या- 4: विशिष्ट विद्यालयों में पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के मतों का प्रदर्शन

क्र0सं0	प्रयोज्य	कुल संख्या (400)	प्राप्त मत (हाँ)	प्रतिशत
1	संस्था प्रमुख	10	6	60
2	शिक्षक	50	30	60
3	छात्र	175	105	60
4	अभिभावक	165	99	60

तालिका संख्या 4 से प्रदर्शित होता है कि विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में पर्याप्त सहायक कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों की सहमति का प्रतिशत 60 है। यह भी संस्था प्रमुखों तथा शिक्षकों के मत प्रतिशत से शुन्य भिन्नता रखता है अतः इस संदर्भ में अवधारणा ''विशिष्ट विद्यालयों में पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता होगी'' अस्वीकृत की गई।

8. शोध परिणाम

1. दिव्यांग बच्चों के लिये बनाई गई सरकारी नीतियां विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की व्यवस्थाओं के अनुसार पूर्ण नहीं है। जोकि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की अदूरदर्शिता को प्रदर्शित करता हैं।
2. विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित सरकारी नियमों में अभी भी लगभग 40 प्रतिशत सुधार करने अथवा उन्हें उदार बनाने की आवश्यकता है।
3. अभी भी लगभग 20 प्रतिशत विशिष्ट विद्यालयों में नियमित विशिष्ट शिक्षकों की संख्या पूर्ण नहीं है। जोकि दिव्यांग शिक्षा में एक अवरोधन बनकर उभरता है।
4. विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले 38 प्रतिशत विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं हैं अर्थात् इन 38 प्रतिशत विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग शिक्षा के शैक्षिक एवं प्रबन्धकीय कार्य सम्पूर्णता तथा समय पर पूरे करने में कठिनाई आती होगी जोकि दिव्यांग शिक्षा के सतत् रूप से गतिशील रहने में अवरोधन उत्पन्न करता है।

9. शोध परिणामों की समीक्षा एवं निष्कर्ष

उपरोक्त परिणामों से निष्कर्षत कहा जा सकता है कि भारत में दिव्यांगजन बालकों को शिक्षा प्रदत्त करने वाले प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बालकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जरूरी संसाधनों, मूलभूत सुविधाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कुशल अध्यापकों एवं सहायक कमचारियों तथा आधुनिक तकनीकी संसाधनों का अभाव है जोकि दिव्यांग बालकों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलिति होने में अवरोधक हैं। दिव्यांग बालकों को सामान्य धारा में सम्मिलित करने हेतु ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों तथा छात्रावास व आधुनिक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था सरकार एवं सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों और विद्यालय संचालकों को करनी होंगी।

10. सन्दर्भः

1 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/12/202312071897094011.pdf

2 निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49, सन 2016) https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/11/202311171341835085.pdf

3 पण्डेय मुकुन्द मोहन,. असिस्टेण्ट प्रोफेसर, डिर्पाटमेण्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन (एच.आई.), जगदगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सरकारी प्रयासः एक अध्ययन. Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal. Volume 3. Issue 6. 2020.p.221-225 ISSN: 25820095. Retrieved from https://gisrrj.com/paper/ GISRRJ2036716.pdf

4 वर्मा विजय कुमार(2018).डा. शकुन्ला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, शिक्षाः दिवयांगजनों के विशेष सन्दर्भ में. International Journal of Scientific & Innovative Research Studies. ISSN: 2454-1818. P.122. Retrieved from https://www.csirs.org.in/uploads/paper _pdf/shiksha- divyangjanon-ke-vishesh-sandarbh-mein.pdf

5 त्रिपाठी संजीव कुमार एवं गुप्ता सुनीता (2018).International Journal of Scientific Research in Science and Technology IJSRST Volume 4. Issue 2. Online ISSN: 2395-602X

6 UN (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. यूनेस्को, विश्व शिक्षा मंच 2015, शिक्षा मंत्रालय, कोरिया गणराज्य (2015)। शिक्षा 2030 इंचियोन घोषणा और कार्य योजनाः सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन अधिगम की ओर. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

7 तनेजा श्रुति व अन्य (2021). Education of Children with Disabilities in Rural Indian Government Schools: A Long Road to Inclusion. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 1034912X. 2021.1917525

8 Shah, R., Das, A., Desai, I., & Tiwari, A. (2016). Teachers' concerns about inclusive education in Ahmedabad, India. Journal of Research in Special Educational Needs, 16(1), 34–45.

9 देवी प्रियंका. समकालीन भारत के विशिष्ट बालकों में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता एवं चुनौतियाँ. Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal. 6 (3). P.14-21. May-June 2023. Retrieved from: https://gisrrj.com/paper/GISRRJ23633.pdf

10 मिश्रा पंकज कुमार एवं कैथल नीलम (2024). Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education.Vol. 21, Issue No. 7, October-2024, ISSN 2230-7540 DOI: https://doi.org/10.29070/sc4byw61

11 कपूर समिता एवं अग्रवाल देवेन्द्र कुमार. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) 12(9).September 2024. ISSN:23202882. www.ijcrt.org

12 ममता व यादव निशी (2025). लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ. दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2025; 13(1):21-6. doi: 10.52711/2454-2687.2025.00004